कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा), मध्य प्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: apccfproduction@gmail.com

क्रमांक/निर्वर्तन/1680 भोपाल, दिनांक: 09 अप्रैल 2013

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश.

विषय:- विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता फुटकर विक्रेताओं के पंजीयन के संबंध में ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/5147 दिनांक 26-11-2012

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत काष्ठ क्रेताओं के रूप में विभाग में पंजीयन की प्रक्रिया म0प्र0 वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 के तहत क्षेत्रीय वन मंडलों में प्रतिवर्ष की जाती है । इस हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत क्रेता के लिये पंजीयन क्रमांक की कोडिंग के लिये निर्देश दिये गये थे । आशा है उक्त निर्देशों के तहत क्रेताओं को निर्धारित पंजीयन क्रमांक आवंटित कर दिया गया होगा । उपरोक्त पंजीयन क्रमांक में निम्न तथ्यों की कोडिंग किये जाने का प्रावधान किया गया था ।

i.) प्रथम तीन अक्षर वन मंडल की पहचान के लिये निर्धारित थे ।
ii.) अगला अक्षर विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता/फुटकर विक्रेता इत्यादि के लिये निर्धारित था ।
iii.) उसका अगला अक्षर प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर के क्रेता के लिये था ।
iv.) अन्त के चार अंक क्रमांक देने के लिये थे ।

उपरोक्त प्रक्रिया को विभागीय वेबसाईट पर क्रेता के आवेदन की सुविधा ऑनलाईन करने के तहत “e-auction” नाम के एप्लीकेशन बनाकर पूरी की गयी है / जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) वन विभाग की वेबसाईट www.mpforest.org में Public utility के Public domain में क्लिक करने पर “e-auction application” क्लिक करने से कोई भी User Online Entry form भर सकता है । (iii)(iv)

(ii) क्रेता के रजिस्ट्रेशन फार्म में कोई भी व्यक्ति अपने को पंजीकृत कराने के लिये आवेदन कर सकता है तथा एन्ट्री फार्म में जानकारी भरकर अपलोड करने के बाद उपरोक्त भरे हुये फार्म को डाउनलोड कर सकता है ।

(iii) इस प्रकार डाउनलोड किये गये भरे हुये आवेदन पत्र की प्रति के साथ आवेदक निम्न प्रमाण पत्र संलग्न कर पंजीयन हेतु निर्धारित वन मंडल कार्यालय को डाक से या सीधे जमा कर सकता है ।

(i) वन मंडलाधिकारी के नाम जमा किये गये पंजीयन शुल्क का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डिमान्ड ड्राफ्ट ।
(ii) पते की पहचान के लिये प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, टेलिफोन बिल, राशनकार्ड की फोटोप्रति) ।
(iii) पैन कार्ड व टिन कार्ड की फोटोप्रति (उपभोक्ता के लिये आवश्यक नहीं)
(iv) नवीन कलर पासपोर्ट साईज का फोटो ।

(iv) वन मंडल में इस प्रकार प्राप्त आवेदनों में प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कार्यालय में इसी वेबसाईट में वन मंडल के USER ID तथा LOGIN PASSWORD के माध्यम से प्राप्त अपलोडेड डाटा से किया जायेगा । यदि कोई क्रेता उपरोक्त फार्म में सभी जानकारी तथा प्रमाण पत्र हाथ से भरकर दे रहा है तथा जानकारी अपलोड नहीं किया है उस स्थिति में कार्यालय को उपरोक्त क्रेता की जानकारी Entry Form में फीड करनी होगी तथा प्राप्त फोटो को Scan करने के पश्चात Entry Form से लिंक करना होगा ।

(v) किसी भी क्रेता द्वारा प्रस्तुत जानकारी का Online Entry हो जाने के बाद तथा तालिका के कालम 5 व 6 में फोटो अटैच करने के पश्चात इसी तालिका में संबंधित क्रेता के अंतिम कालम Fill Transaction ID को क्लिक किया जायेगा । उपरोक्त क्लिक के बाद Transaction ID की Entry वन मंडल कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।

(vi) Transaction ID क्रेता द्वारा पंजीयन शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप (डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक/अथवा स्लिप जो भी हो) को वन मंडलाधिकारी की केशबुक में चार्ज कने का प्रमाणक क्रमांक तथा दिनांक के रूप में होगी । जो निम्नानुसार रहेगा:-

जैसे प्रमाणक क्रमांक तीन अंकों में जैसे	001 या 098 या 103 होने से तथा
दिनांक	03042013 (तीन अप्रैल दो हजार तेरह) के लिये
Transaction ID	11 अंक की रहेगी

उपरोक्त प्रकरण में Transaction ID निम्न होगी 00103042013 या 09803042013 या 10303042013

(vii) उपरोक्त Transaction ID भरने के बाद क्रेता के लिये निर्धारित प्रमाणपत्र फोटो के साथ प्रिंट होने के लिये दिखेगा जिसका प्रिंट लेकर वन मंडलाधिकारी के हस्ताक्षर से क्रेता को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(viii) उपरोक्त विधि से पंजीयन किया जाना अनिवार्य है, जिससे प्रदेश के सभी पंजीकृत क्रेताओं का Online डटाबेस तैयार किया जा सके तथा प्रत्येक क्रेता को Unique पजीयन क्रमांक दिया जा सके जिसे वह e-auction के समय Online Internet Payment अथवा बोली लगाने के लिये उपयोग में ला सकेगा

नोट:- संदर्भित पत्र के माध्यम से मेन्यूअल रूप से किये गये पंजीयन क्रमांक तथा ONLINE Computer से प्राप्त होने वाले पंजीयन कमांक में कुछ अन्तर रहेगा उदाहरण के लिये-भोपाल वन मंडल के प्रदेश के ही व्यापारी का पंजीयन BPLTI0007 यदि आवंटित किया गया है तो Computer में Entry उपरान्त उपरोक्त कोड BPLTI0007 प्राप्त होगा अर्थात TI (Trader insider) उलट कर IT (Insider Trader) हो जायेगा । अत- पूर्व में मेन्युअली जारी किये गये Code निरस्त कर ONLINE Entry से प्राप्त कोड ही क्रताओं को प्रदाय किये जायें ।

उपरोक्तानुसार किये गये पंजीयन में निम्न सावधानी बरती जाना आवश्यक है:-

(i) किसी भी क्रेता को दो पंजीयन क्रमांक के प्रमाण पत्र जारी न किया जाये ।

(ii) कोई भी पंजीयन क्रमांक एक से अधिक क्रेताओं को आवंटित न हो सके ।

(iii) Renewal के समय क्रेता का पूर्व पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा ।

(iv) क्रेता की प्रमाणिक जन्मतिथी, PAN तथा TIN क्रमांक सही-सही भरी जयेगी क्योंकि क्रेता की Unique पहचान इन्हीं के आधार परकी जायेगी ।

वर्ष 2013 में किये गये या किये जाने वाले समस्त पंजीयनों को Online Entry करने का कार्य अगले 15 दिवस में पूर्ण किा जाना आवश्यक है जिससे सभी क्रेताओं को Unique Code प्राप्त हो सके । यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये बगैर ONLINE e-Auction कार्य आगे नहीं बढाया जा सकता तथा क्रेताओं से Online Internet Banking के माध्यम से भुगतान भी प्राप्त नहीं हो पायेगा ।

आशा है आप उपरोक्त कार्यवाही को प्राथमिकता में लेते हुये निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लेंगे । यदि इस संबंध में कोई समस्या आती है तो श्री बी.बी.सिंह, मु.व.सं. से मोबाईल नम्बर 9424790080 पर सीधे बात कर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/निर्वर्तन/1681 भोपाल, दिनांक 09 अप्रैल 2013

प्रतिलिपि:-

1/- समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, क्षेत्रीय वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल